बीकानेर नगर निगम

नगरीय क्षेत्र में सीवर चैम्बर्स की सफाई, चौकिंग हटाने तथा चैम्बर्स से निकाली गई सिल्ट उठाने के कार्य की जोन विधानसभा (पूर्व) क्षेत्र की निविदा शर्ते निविदा सूचना क्रमांक 06

1. निविदादाता की फर्म के पास किसी भी नगर पालिका/परिषद/निगम में निविदादाता के पास सीवर कार्य करने संबधि (O&M) कार्यादेश पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदाऐ दो भागो में प्राप्त की जावेगी प्रथम भाग तकनीकि बिड एवं द्वित्तिय भाग वित्तिय बिड लिफाफे पर दोनो बिड का नाम अंकित करना होगा तथा कार्य का नाम दिनांक भी अंकित करना होगा। प्रथम भाग में सफल होने पर द्वितीय भाग खोला जावेगा। प्रथम भाग में सफल नहीं होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

प्रथम भाग : तकनिकी बिड (बिड के साथ सलंग्न किये जाने वाले पत्र नीचे क्र.स. 1 से 4 तक)

1. धरोहर (अमानता) राशि दो प्रतिशत ही का जोन अनुसार नगद जमा रसीद/ डी.डी/बैकंर्स चैक सलग्न करना 0होगा।
2. किसी भी नगर पालिका/परिषद/निगम तथा अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में निविदादाता के पास सीवर कार्य करने संबधी (O&M) एक कार्यादेश पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. फर्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का शपथ–पत्र दस रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
4. फर्म का टीन नं का पंजीयन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा।

द्वितीय भाग :– वित्तिय बिड (बिड के साथ कोई भी पत्र सलंग्न नही किया जावेगा मात्र दर भरकर प्रस्तुत करना है।)

3. धरोहर (अमानता) राशि 2 प्रतिशत ही मान्य होगी। तथा कार्यादेश जारी होने पर फर्म को अनुमानित निविदा राशि की 5 प्रतिशत राशि सुरक्षित धरोहर के रूप में जमा करवानी होगी, अन्यथा कार्यादेश निरस्त समझा जावेगा। सुरक्षित धरोहर राशि कार्य समाप्ति पश्चात् लौटाई जावेगी, सुरक्षित धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
4. सीवर लाईन की चौकिंग दूर करने हेतु फलेक्सिसबल स्टील रोड्स एवम् आवश्यक टूल जैसे कटर, भाला, रूटकटर आदि का सामान की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी। निविदादाता के पास कम से कम 150 फलेक्सिबल स्टील रोड्स व अन्य टूल 2–2 की संख्या में अवश्य होनी चाहिए।
5. निविदादाता को नगर निगम की हैल्पलाईन शाखा से प्रतिदिन सीवर चौकिंग संबंधित समस्त शिकायत को प्राप्त करते हुए सीवर लाईन ओवर फ्लो होने की सूचना दूरभाष पर प्राप्त होने के 24 धण्टे के भीतर शिकायत को takeover कराना होगा 24 घंटे के भीतर शिकायत takeover नहीं होने पर 1000/– रू प्रति शिकायत प्रतिदिन पेनेल्टी वसूल की जायेगी।
6. संवेदक को राजपत्रित अवकाश के दिनो में भी सीवर चॉकिंग हटाने का कार्य 365 दिन करना होगा, उक्त कार्य हेतु कर्मचारियो की तैनाती संवेदक अपने स्तर पर करेगा तथा कार्यरत कर्मचारियो को साप्ताहिक अवकाश संवेदक द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की जावेगी।

............02

7. संवेदक को श्रम अधिनियिम/उपनियमो की पालना करनी होगी तथा न्यून्तम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिको को भुगतान करना होगा।
8. सीवर लाईन का गंदा पानी यदि पानी की सप्लाई लाईन से किसी भी कारणवश (जैसे गंदा पानी टूटी में आने पर) जुड जाती है तो ऐसी स्थिति में तुरन्त चॉंकिंग व गन्दे पानी की आपूर्ति का पीने के पानी की सप्लाई लाईन से अलग करने की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी (चाहे रात्रि में हो) यानी 24घंटे में किसी भी समय कार्य करना होगा।
9. वी.आई.पी विजिट/मेला/त्यौहार या धार्मिक कार्य तो तरुन्त व्यवस्था प्राथमिकता से करनी होगी।
10. संवेदक को जेसी भी स्थिति मे कार्यादेश दिया जावेगा उसी समय तक की लम्बित शिकायतो का निराकरण करना होगा।
11. मैनहॅाल की सफाई हेतु आवश्यक औजार जैसे गैती, लोहे की रोडे, फावड़ा, छैनी, हथौड़ी, बाल्टी, सैफ्टी बैल्ट, बांस,खुरपी, खपच्ची, मजबूत रस्सी, टार्च की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी, तथा श्रमिको की व्यवस्था भी निविदाकार को करनी होगी। चैम्बर्स की सफाई तले तक करनी होगी। निकलने वाला कादा,कचरा,मिट्टी निकालकर कलेक्शन सेन्टर पर संवेदक को ही डालना होगा।
12. संवेदक की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रथम बिल भुगतान से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा पंजीयन करवाकर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. सीवर लाईन की चौकिंग हटाने व मैनहॉल की सफाई के कार्य में पर्याप्त अनुभवी व कुशल मजदूरों को ही लगाया जावेगा तथा लगाये गये श्रमिको को आवश्यक उपकरण जैसे सेफ्टी बैल्ट, मजबूत रस्सा, हेलमेट, गैस मास्क, रबर के दस्ताने आदि श्रमिको को उपलब्ध कराने होगें। इन उपकरणो के आभाव में श्रमिको को चैम्बर्स में नहीं उतारा जावेगा। यदि इन उपकरणो के बिना श्रमिको को मेनहॉल में उतारने पर होने वाली दुर्घटना की समस्त जुम्मेवारी निविदाकार की होगी।
14. निविदादाता अपना एक कार्यालय निगम क्षेत्र में रखेगा कार्यालय में टेलीफोन एवं मोबाईल रखेगा जिसके नंबर की सूचना निगम को देगा तथा कार्यालय में तैनात कर्मचारी निगम स्तर पर दी जानेवाली शिकायतो को एक पंजीका में संधारण करेगा जिसमें शिकायत प्राप्त होने एवं निराकरण की दिनांक व समय अंकित होगा।
15. सीवर मैनहॉलो के कवर्स को उचित साधन के द्वारा सावधानीपूर्वक खोला जावेगा ताकि उनके कोई क्षति न पहुंचे । यदि लापरवाही से कार्य करने पर कवर अथवा उसके फ्रेम को क्षति पहुंचती है तो उसकी तत्काल निःशुल्क मरम्मत करने का दायित्व निविदादाता का होगा। यदि मेनहोल कवर अथवा उसका फ्रेम लापरवाही से कार्य करने से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसे निविदा दाता द्वारा निःशुल्क अविलंब बदला जावेगा।
16. सीवर मेनहोल में आवश्यक होने पर यदि मजदूर नीचे उतारना है तो प्रभावित मैनहॉल के आगे व पीछे के 2–2 मेनहोल भी खोले जावेगे ताकि उनमे से हानिकारक गैसे बाहर निकल जावे। खोले गये मेनहोलो पर मजबूत लोहे के फ्रेम रखे जायेगे ताकि उनमें कोई व्यक्ति अथवा जानवर न गिर सके। मेनहोल खोलने के लगभग 1 घण्टे के बाद व यह सुनिश्चित करने के बाद कि अब मैनहॉल में हानिकारक गैस नही है, तब ही मजदूर को सैक्टी बैल्ट व मजबूत रस्से से बांध कर नीचे उतारा जावेगा। इस संबंध में यदि निविदादाता द्वारा लापरवाही नहीं बरती जावेगी ।

..........03

17. जब कोई मजदूर मैनहॉल में उतारा जावेगा तो मैनहॉल के उपर कम से कम 2 आदमी रहने चाहिये जो कि अंदर गये हुए मजदूर पर सावधानी पूर्वक नजर रखेंगे व बात करते रहेंगे, आवश्यक होने पर उसे तत्काल रस्सो के द्वारा ऊपर खींच लेगे।
18. सीवर लाईन सफाई करते समय यदि कोई खुदाई का कार्य किया गया है तो कोई भी राहगीर न गिरे इसके लिए सुरक्षा हेतु बेरीकेटिंग की व्यवस्था (जैस बलीया आदि) लगाकर व्यवस्था संवेदक को करनी होगी।
19. सामान्यतः रोडिंग से 6 इंच से 12 इंच व्यास की सीवर लाईनो की सफाई करवायी जानी है परंतु आवश्यकता पडने पर 12 इंच से बडे आकार की सीवर में भी रोडिग करनी होगी।
20. कार्य पूर्ण करने के पश्चात फ्रेम से मिट्‌टी हटाकर मेनहॉल कवर को उसकी सही स्थिति में वापिस रख कर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कवर सही ढ़ंग से फिट हो गया है व उसमे कोई रबक नही है।
21. सवेदक को सीवर चॉकिंग हटाने के कार्य हेतु अगर नगर निगम की जेटिंग मशीन की आवश्यकता होगी तो नगर निगम से मशीन प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन 8 घंटे कार्य हेतु रूपये 2500/– (दो हजार पांच सौ मात्र) मशीन किराये के रूप में जमा करवाकर प्राप्त की जा सकेगी। मशीन का किराया नगद जमा नहीं करवाने पर संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल में कटौती की जावेगी। मशीन में डीजल, चालक आदि की व्यवस्था निगम द्वारा की जावेगी। यदि जेट मशीन किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होने या खराब होने की स्थिति में संवेदक को मैनुअल व्यवस्था करनी होगी।।
22. यदि सीवर मेनहोल के ढक्कन कही दब गये है तो संबंधित अधिकारियो के मार्गदर्शन मे ही खुदाई करावे। रोड कटिंग, केबल इत्यादि की स्थिति हेतु निगम अभियन्ताओं की उपस्थिति में ही कार्य करावें। खुदाई का कार्य संवेदक द्वारा अपने स्तर पर करवाना होगा।
23. सीवर का कार्य करने वाले श्रमिकों का बीमा/ई.एस.आई करवाना ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा। कार्य जोखिम भरा होने से पूर्ण सावधानी रखने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। इसमें नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नही होगा। ठोस कचरा प्रबन्धन के नियमो का पालन करना होगा।
24. स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी/आयुक्तगण/महापौर के द्वारा दूरभाष पर निर्देश प्राप्त होने पर शिकायत का निस्तारण तुरन्त करना होगा।
25. दर अनुबंध की अवधि 31.03.2015 तक होगी परन्तु नई निविदा होने या स्वीकृत होकर कार्यादेश होने तक संविदा अवधि बढ़ाई जा सकेगी। संवेदक को इसी दर पर कार्य करना होगा।
26. निविदाकार द्वारा कार्य शुरू नहीं करने/कार्य बन्द करने/कार्य करने से मना करने पर ठेकेदार की रिस्क एण्ड कोस्ट पर कार्य अन्य फर्म से कार्य करवाया जायेगा तथा अधिक भुगतान की वसूली संवेदक के बिलो में से एवं जमा धरोहर राशि एवं जमा परमोरमेन्स सिक्यूरिटी राशि में से वसूल करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
27. दरो में सभी कर सम्मिलित होंगे आयकर, बिक्री कर, वाणिज्य कर, व अन्य सभी कर चुकाने की जुम्मेवारी संवेदक की होगी। जिसके लिए संवेदक को बकाया नहीं होने (NO- DUESE) का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
28. कार्य अहस्तान्तरणीय है एवं उप ठेके पर नही दिया जा सकेगा ।

.............04

29. सीवर चेम्बर की सफाई हेतु यदि पंप आदि की आवश्यकता होने पर पंप की व्यवस्था संवेदक को स्वंय करनी होगी। निगम स्तर पर पंप उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
30. उक्त निविदा की शर्तो में परिर्वतन/संशोधन करने का अधिकार नगर निगम बीकानेर को होगा।
31. निगम द्वारा निविदा में प्रतिमाह दर चाही गई है संवेदक को प्रतिमाह प्राप्त होने वाली शिकायतो का निर्धारित समय में निस्पादन करना होगा, तथा स्वास्थय अधिकारी के निर्देशानुसार प्रतिदिन 05 सीवर चैम्बरो की पूर्णतया सफाई तल से करनी होगी। जिसका सत्यापन संबधित क्षेत्र के स्चच्छता निरीक्षक द्वारा किया जावेगा।
32. निविदादाता को PHED पब्लिक पार्क विश्नोई धर्मशाला के सामने सुबह 8:00 बजे अपनी लेबर को उपस्थित रखना होगा। संवेदक द्वारा 5–5 श्रमिको की दो टीमें गठित करनी होगी। शिकायतो के निवारण हेतु दोनो टीमो को उक्त स्थल से रवाना करना होगा।
33. शिकायत के निस्तारण से पूर्व निविदादाता द्वारा शिकायत कर्ता से नगर निगम द्वारा जारी सीवर स्वीकृती पत्र के क्रमांक/दिनांक अवश्य रूप से नोट करें।
34. निविदा प्रारूप में संवेदक को प्रतिमाह दरे प्रस्तुत करनी होगी। सफल संवेदक की निविदा स्वीकृत होने पर प्रति माह करवाये गये कार्य की दैनिक शिकायतो का चार्ट हेल्पलाइन से प्राप्त कर उन पर संबधित स्वच्छता निरीक्षक,/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण–पत्र देने के पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख को अवश्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। भुगतान सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। प्रक्रिया में समय लगने के कारण निविदादाता द्वारा कार्य बन्द नहीं किया जावेगा।
35. निविदादाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल अगले माह प्रभारी अधिकारी/संबधित क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। जन स्वास्थ्य शाखा द्वारा संधारित अभिलेख अनुसार सत्यापन की जांच कर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
36. सर्षत निविदा मान्य नहीं होगी तथा कांट–छाटं वाली निविदा पर बिना लघु/पूर्ण हस्ताक्षर के विचार नहीं किया जावेगा।
37. किसी भी विवाद में CEO/ आयुक्त प्रशासन एवं महापौर नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी विवादो का न्यायियक क्षेत्र बीकानेर होगा।
38. अनुबंध की किसी भी शर्त की व्याख्या एंव विवरण में मतभेद होने पर महापौर नगर निगम द्वारा की गई व्याख्या अंतिम होगी।

उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 38 तक पढकर, सुनकर मनन् करने के पश्चात् इन शर्तो पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदाकार